विविध बैंक प्रकरण सं0 04/2018 (RCMS 2018/00004) भारतीय स्टेट शाखा–मण्डी एरिया, श्रीगंगानगर जरिये राम प्रसाद मीणा, मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स हनुमान दास रोशन लाल, शॉप नं 97, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री अमित सोनी पुत्र श्री सुभाष सोनी निवासी मकान नं. 118, गली नं. 03, दुर्गा विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर (ऋणी) 2. श्री सुभाष सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी, दुर्गा विहार कॉलोनी, श्रीगंगानगर (गारंटर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.07.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा मैसर्स हनुमान दास रोशन लाल–प्रो. अमित सोनी को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 90,00,000/–रूपये (अखरे रूपये नब्बे लाख़ मात्र) दिनांक 24.11.2015 को स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गारंटर की सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 51(भाग), दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर(उत्तरी भाग) (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 44, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (पूर्वी भाग) (क्षेत्रफल 12 गुणा 20 वर्गफुट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है ज़िस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 28.02.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 04.03.2017 को 96,10,453/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.03.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व अचल सम्पति रिहायशी मकान नं. 51(भाग), दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर(उत्तरी भाग) (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 44, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर(पूर्वी भाग) (क्षेत्रफल 12 गुणा 20 वर्गफुट) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. हनुमान दास रोशन लाल–प्रो. अमित सोनी को दिनांक 24.11.2015 को ऋण सुविधा के रूप में 90,00,000/– (अखरे रूपये नब्बे लाख रूपये) की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गारन्टर सुभाष सोनी द्वारा अपनी चल व अचल सम्पतियाँ रिहायशी मकान नं. 51(भाग), दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर(उत्तरी भाग) (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 44, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर(पूर्वी भाग) (क्षेत्रफल 12 गुणा 20 वर्गफुट) में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थी ऋणि का खाता दिनांक 28.02.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी गारंटर जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.03.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये, **जिसकी पुष्टि प्राप्ति एडी रसीद से होती है।** नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

चूंकि धारा 13(2) का जारी नोटिस की तामील के बावजूद प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋणी की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी जमानतदार की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी चल व अचल सम्पति रिहायशी मकान नं. 51(भाग), दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर(उत्तरी भाग) (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 44, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (पूर्वी भाग) (क्षेत्रफल 12 गुणा 20 वर्गफुट) में स्थित है जो गारंटर सुभाष सोनी के नाम से है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त सम्पत्ती जिनका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.03.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 04.03.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै. हनुमान दास रोशन लाल–प्रो. अमित सोनी एवं सुभाष सोनी के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों को प्रार्थी बैंक का भौतिक कब्जा को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2018 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी एवं गारंटर द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्तियां रिहायशी मकान नं. 51(भाग), दुर्गा विहार कॉलोनी, मेन रोड, किला नं 16, मुरब्बा नं. 58, चक 2 ई छोटी, श्रीगंगानगर(उत्तरी भाग) (क्षेत्रफल 20 गुणा 40 वर्ग फुट) एवं व्यवसायिक दुकान नं. 44, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर (पूर्वी भाग) (क्षेत्रफल 12 गुणा 20 वर्गफुट) जो कि गारंटर सुभाष सोनी के नाम से है, **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर